भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र

डाकघर- केट,
इंदौर-452013

संख्या-14/05/2020-सामा/ 679-681

जून 3, 2021 4

विषय : दिनांक 01 जून, 2021 से इंदौर जिले में प्रतिबंधित गतिविधियों एवं अनुमति योग्य गतिविधियों के संबंध में.

उपर्युक्त विषय पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, इंदौर के दिनांक 31/05/2021 के आदेश संख्या-2516/रीएडीएम/ 2021 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है.

अ) **उपर्युक्त आदेश के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेगी** :-

1) सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक आदि संबंधित गतिविधियाँ जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगी
2) सभी धार्मिक/पूजा स्थल बंद रहेंगे
3) 15 जून, 2021 तक विवाह कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे
4) प्रत्येक शनिवार और रविवार को **"जनता-कर्फ्यू"** रहेगा जो शुक्रवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 08:00 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस अवधि में केवल अत्यावश्यक गतिविधियाँ चल सकेंगी
5) रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक "नाईट-कर्फ्यू" रहेगा
6) **रूल ऑफ़ सिक्स** - अनुमत्य गतिविधियों के अलावा 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा.

ब) निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित हो सकेगी :–

1 केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी
2 ई–कॉमर्स कम्पनियों से अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी
3 मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले तथा इलेक्ट्रीशियन,प्लम्बर, मोटर मेकेनिक के आवागमन पर रोक नही रहेगी
4 घरेलु सेवा देने वाले तथा धोबी, हाउस हेल्प / मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नही होगी
5 आटा चक्की सप्ताह में पॉच दिन संचालित हो सकेगी
6 दूध का वितरण प्रात 06:00 बजे से 10:00 बजे तक तथा सायं 05:00 बजे से 08:00 बजे तक हो सकेगा इस अवधि में दूध डेरी खुल सकेगी
7 किराना एवं ग्रोसरी संबधी खेरची दुकाने सप्ताह में पॉच दिन प्रातः 12:00 बजे तक खुल सकेगी। बिकी फोन पर आर्डर लेकर की जाएगी
8 फल एवं सब्जी की बिक्री चलायमान ठेलों के माध्यम से की जा सकेगी
9 वेक्सीनेशन केन्द्रों तक आवाजाही की जा सकेगी

उपरोक्त अदेशानुसार उक्त गतिविधियों को प्रतिबंधों से मुक्त किया जा रहा है, जिसका सात दिवस उपरांत जिले की कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार पुनः रिव्यूह किया जाएगा ।

स) कोविड–19 प्रौटोकोल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार/अनुशासन :–

1. नो मास्क नो सर्विस।

2. कार्यक्षेत्र में भी सही तरह से मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग तथा हैण्डवॉश/सेनेटाईजेशन का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन कडाई से करे ।

आप सभी से सहयोग की अपेक्षा।

3.6.21

(एस एस गोंडाणें)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

मेल-ऑल के माध्यम से आरआरकेट के सभी अधिकारी/कर्मचारी एवं आवासीय कालोनी के निवासी

सादर सूचनार्थ प्रति : निदेशक कार्यालय, आरआरकेट

उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी/ सुरक्षा अधिकारी – कृपया सुनिश्चित करे कि आर आर केट कॉलोनी परिसर में उपरोक्त दिशा–निर्देशो का कड़ाई से पालन हो रहा है ।